THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

15 FALGUN 1945 (S)

No. 135

RANCHI, TUESDAY 5th MARCH, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th March, 2024

Notification No.- 17/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 64, Dated 05th March, 2024--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No. **1/2017**-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“92A.	1703	Molasses”;

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled";

(B) in Schedule III – 9%,

(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures "of heading 1905", the words and figures "of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled " shall be substituted;

(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use";

(C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 20th day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 11/2023– State Tax (Rate), dated the 05th March, 2024, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 58, dated the 05th March, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 17/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 64, दिनांक 5 मार्च, 2024--झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या **1/2017-** राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I में-2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात-:

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात-:

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड औरलेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में-9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटेसे भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और- लेबल किए गए हो, से भिन्न " प्रति स्थापित की जाएंगी ।

(iii) क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद25, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी-:अर्थात ,

(1)	**(2)**	(3)
“25क	10 2207 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV में-14%,क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2023]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, एस.ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 5 मार्च, 2024, जिसे एस.ओ. सं. 58, दिनांक 5 मार्च, 2024, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 135 -- 50.